

# नोट्स विवाह पूर्व काउंसलिंग

आदेश हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम

प्रकाशक

नज़ारत इस्लाह व इरशाद मर्कज़ीया  
क्रादियान

# नोट्स

## विवाह पूर्व काउंसलिंग

आदेश हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम

प्रकाशक  
मन्सूबाबन्दी कमेटी, भारत, क़ादियान  
ज़िला – गुरदासपुर (पंजाब)

|                 |  |
|-----------------|--|
| नाम पुस्तिका    | : विवाह पूर्व काउंसलिंग<br>निर्देश - हजरत खलीफतुल मसीह पंचम        |
| प्रथम संस्करण   | : 2015 ई. (भारत)   |
| संख्या          | : ? ? ? ? ?  |
| प्रकाशक         | : मन्सूबा बन्दी कमेटी, भारत, क़ादियान<br>ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)   |
| प्रबन्धान्तर्गत | : नज़ारत नश-व-इशाअत, क़ादियान<br>ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)           |
| मुद्रक          | : फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस, क़ादियान<br>ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब) |

# विषय – सूची

|  | पृष्ठ |
|--|-------|
| 1. परिचय   | 7     |
| 2. शादी से पूर्व   | 7     |
| 3. निकाह के लिए रजामन्दी   | 8     |
| 4. हक्क मेहर   | 8     |
| 5. पति का घर   | 9     |
| 6. दहेज  | 10    |
| 7. एक दूसरे से ज़िमेदारियों की उम्मीद  | 11    |
| 8. निजी मामलों के बारे में स्पष्टीकरण  | 12    |
| 9. शादी का आयोजन   | 13    |
| 10. आभूषण (ज़ेवर) जो शादी के अवसर पर दिए जाएँ  | 14    |
| 11. शादी के उपहार (तोहफे)  | 14    |
| 12. हनीमून Honeymoon   | 15    |
| 13. लड़के के मां-बाप के साथ रहना   | 15    |
| 14. यदि कुछ कठिनाइयाँ सामने आएँ तो उन्हें दूर करने के लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए | 20    |
| 15. इन से बचो और सावधान रहो  | 22    |
| 16. अपने साथी के साथ अकेले जीवन व्यतीत करना  | 23    |
| 17. आर्थिक (धन संबंधी) मामले   | 25    |
| 18. लोगों को दावत देना   | 26    |
| 19. रिश्तेदारों से मिलना   | 26    |
| 20. छुट्टियाँ  | 27    |
| 21. बच्चे  | 27    |
| 22. धन और सम्पत्ति   | 28    |

## प्राकृथन

नुबुव्वत के बाद खिलाफ़ते राशिदा मोमिनों और नेक स्वभाव रखने वाले लोगों पर अल्लाह तआला का बड़ा फ़ज्जल है। नबी के निधन के पश्चात् क्रायम होने वाली खिलाफ़त जीवन के भिन्न-भिन्न मार्गों से गुज़रने के लिए मीनार होती है। अतः सच्चा खलीफ़ा जीवन के प्रत्येक पहलू को शरीअत और खुदा की इच्छानुसार उजागर करके उसे सफल और फलदायक बनाने के लिए असीम प्रयास करते हैं। नैतिक, आध्यात्मिक (रूहानी), घरेलू, जातीय तथा राजनैतिक जीवन की उचित और सीधी गाइडलाइन्स को क्रायम करते हुए जहाँ लोगों के मामलों में सफाई पैदा करते रहते हैं, वहाँ समय-समय पर उन्हें खुदा के हुक्मों (अधिकारों) का पालन करने के लिए दुआओं के साथ-साथ ध्यान भी दिलाते रहते हैं। अतः समस्त प्रकार की श्रेष्ठतम उन्नति का आश्वासन केवल खिलाफ़त ही देती है।

रिश्ता-नाता तथा विवाह और शादी के मामले सामान्यतः बहुत संवेदनशील (नाज़ुक) होते हैं। इस संबंध में उचित नियमों का पालन न करने से असंख्य समस्याएँ पैदा हो जाती हैं तथा दिन-प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जिसके कारण घरों का अमन-चैन उठ जाता है और बेचैनियाँ हर प्रकार से निराशा की ओर ढकेल कर अन्तः तबाह कर देती हैं, जिसके उदाहरण प्रत्येक समाज में देखे जाते हैं तथा उनका उचित मार्ग-दर्शन करने वाला कोई नहीं है। जमाअत अहमदिया में अल्लाह तआला के फ़ज्जल से नुबुव्वत की शैली पर खिलाफ़त (खिलाफ़त अला मिन्हाजे नुबुव्वत) की महान व्यवस्था क्रायम है तथा जमाअत खिलाफ़त के मार्ग दर्शन से जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति की मंज़िलें प्रतिदिन बढ़-चढ़ कर तय

कर रही है। शादी-विवाह और रिश्तों को क्रायम करने तथा उन्हें मज़बूत बनाने के लिए भी हमारे प्यारे इमाम हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम सदैव मार्ग दर्शन तथा प्रयास करते हैं और बार-बार जमाअत को अच्छे और नेक रिश्तों में बंधने के लिए भरपूर योजनाएँ बनाते तथा सुधार की ओर विशेष ध्यान दिलाते हैं। अगले पृष्ठों में हुज़ूर अन्वर की मैरिज काउंसलिंग के बारे में विशेष निर्देश एवं शिक्षाएँ जो हुज़ूर अन्वर ने विभिन्न अवसरों पर दी हैं पाठकों की सेवा में प्रस्तुत की जा रही हैं। अल्लाह तआला इसे प्रत्येक पहलू से लोगों के लिए लाभप्रद बनाए।

मन्सूबाबन्दी कमेटी भारत, नज़ारत नश्र व इशाअत के प्रबन्ध के अन्तर्गत उपरोक्त निर्देशों को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है।

**फ़लहम्दो लिल्लाहे अला ज़ालिका**

**नाज़िर नश्र व इशाअत  
क़ादियान**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
(बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम)

## शादी से पहले काउंसलिंग के लिए नोट्स

इस कार्य को दुआ करके आरंभ किया जाए। परिचय के तौर पर आप स्वयं को पति-पत्नी के सामने तथा जो भी लोग कमरे में मौजूद हैं उनके सामने अपना परिचय कराएँ। इस बात को बताया जा सकता है कि निकाह के खुत्बे में तक्रवा (संयम) शब्द का पांच बार वर्णन हुआ है तथा शादी की बुनियाद तक्रवे पर है।

इन्टरव्यू लगभग एक घंटे का हो, इस से अधिक नहीं। बातचीत के ढंग को रोचक बनाएँ जिसमें बातचीत हो न कि केवल निर्देश।

### आवश्यक नोट :-

काउंसलिंग में आवश्यक नहीं कि मज़हबी अक्लीदे (धार्मिक आस्थाएँ) सिखाए जाएँ या पति-पत्नी को प्रशिक्षित किया जाए या उनका रूहानी मै'यार बढ़ाया जाए। इसका सब से महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि पति-पत्नी को सामान्य तौर पर आने वाली उन समस्याओं के बारे में बताया जाए जो शादियों में पैदा होती हैं, जिन के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह भी कि उन कठिनाइयों से किस प्रकार बचा जा सकता है। मज़हबी मामलों में बढ़ोत्तरी, प्रशिक्षण (तरबियती) और रूहानी मै'यार की उन्नति अतिरिक्त बातें हैं जो उम्मीद हैं कि साथ-साथ प्राप्त होंगी (यह पति-पत्नी पर निर्भर है)।

## परिचय

विवाहित (शादीशुदा) जोड़ों की बढ़ती हुई समस्याओं के कारण यह आवश्यक समझा गया कि पति-पत्नी को उन समस्याओं का ज्ञान कराया जाए (जो दूसरे जोड़ों के सामने आती हैं)।

यह मीटिंग आपको जानकारियाँ देने तथा आपको अवगत (आगाह) और तैयार करने के लिए है।

### शादी से पूर्व :-

(यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि कितनी ही समस्याएँ ऐसी हैं कि एक शादी के शुरू होने से पूर्व ही उसके टूटने का कारण बन जाती हैं।)

उन समस्याओं से सावधान रहें जो शादी से पूर्व ही पैदा होती हैं, जो उबलती हैं और फिर शादी के बाद एक ऐसा उबाल बन कर सामने आती हैं जो शादी में रुकावट डाल देती हैं या तबाह कर देती हैं।

शादी दो सदस्यों तथा दो खानदानों के बीच होती है। दो सदस्यों के बीच समस्याओं का हल करना, दो खानदानों के बीच समस्याओं के हल करने की अपेक्षा आसान है। क्यों? क्योंकि खानदान में दो से अधिक सदस्य मौजूद होते हैं, जिनकी परम्पराएँ, आदतें तथा कार्य ऐसे होते हैं जो वर्षों से उनके साथ चले आ रहे होते हैं और सुदृढ़ हो जाते हैं। पति-पत्नी को यह कहा जाता है कि सारे खानदान का सीधे तौर पर मुक़ाबला न करें, आप स्वयं अपने खानदान और अपनी परम्पराएँ बनाएँ। लेकिन इस से पहले कि आप यह करें, अच्छा है कि आप दोनों खानदानों की उन परम्पराओं एवं आदतों तथा

काम करने के ढंग को स्वीकार कर लें या बदाश्त करें जिन पर वे चल रहे हैं यदि वे सभी ढंग इस्लाम के विरुद्ध न हों।

जमाअत अहमदिया के पंचम ख़लीफ़ा हज़रत मिर्ज़ा मस्सूर अहमद साहिब ने मार्ग दर्शन किया है कि काउंसलिंग के समय निम्नलिखित निर्देश भी सम्मिलित किया जाए :-

यदि कोई लड़का या लड़की किसी दूसरे अहमदी से शादी करना चाहते हों, किन्तु मौजूदा रिश्ता उनको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में मां-बाप के लिए उचित है कि अधिक रुकावट न डालें। अच्छा होगा कि दुआ और इस्तिख़ारह करने या करवाने के बाद वे उस रिश्ते पर राज़ी हो जाएँ जो उनके बच्चे या बच्ची की इच्छा के अनुसार है। (30 जनवरी 2015)

## (1) निकाह के लिए ऱज़ामन्दी (सहमति)

क्या दोनों सदस्य निकाह पर आपस में राज़ी (सहमत) हैं? क्या किसी सदस्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध निकाह पर मजबूर किया गया है? क्या कोई एक सदस्य किसी दूसरे से शादी करने का इच्छुक है या किसी और से मुहब्बत (प्रेम) करता है?

## (2) हक्क मेहर

हक्क मेहर जो पति की ओर से पत्नी को अदा किया जाना अनिवार्य है निर्धारित कर लिया गया है?

पत्नी का हक्क मेहर शादी के प्रथम दिन से होता है और उसे उस हक्क (अधिकार) से वंचित (महरूम) नहीं किया जा सकता, सिवाए इसके कि दारुलक़ज़ा (न्यायालय) कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वयं ऐसा करने का फैसला करे।

हक्क मेहर अदा न करने की केवल यही परिस्थिति है कि पत्नी स्वयं उस हक्क (अधिकार) से (पति की ओर से बिना किसी दबाव, प्रेरणा या उकसाए जाने के) खुशी-खुशी छोड़ दे या मेहर वसूल करने के बाद उसे वापस कर दे।

क्या हक्क मेहर दोनों सदस्यों की परस्पर रजामन्दी से तय किया गया है? क्या दोनों सदस्य मेहर के लिए निर्धारित राशि/धन पर राजी हैं? (और उसमें किसी सदस्य की ओर से निकाह फ़ार्म पर हस्ताक्षर करते समय कोई परिवर्तन नहीं किया गया?) यदि हक्क मेहर में कोई परिवर्तन किया गया है तो क्या दोनों सदस्य उस पर परस्पर राजी हैं?

ऐसा हक्क मेहर जो शुहरत (प्रसिद्धि) के लिए बढ़ाया गया हो (चाहे इस बारे में लड़की वालों की ओर से भले ही विश्वास दिलाया जाए कि वे उसकी कभी मांग नहीं करेंगे) बिल्कुल अस्वीकार करने योग्य है। इसके आधार पर कभी भी निकाह का ऐलान नहीं होना चाहिए।

### (3) पति का घर

समाज में सामान्यतया लड़की की विदाई बाप के घर से की जाती है और वह अपने पति के घर में जाकर रहती है (न कि इस के विपरीत) कभी-कभी परिस्थितियाँ इसके अतिरिक्त पैदा हो जाती हैं परन्तु वे भी परस्पर रजामन्दी और समझौते के साथ।

क्या यह बात स्पष्ट है कि लड़की (पति के) मां-बाप के घर में (उसके) मां-बाप के साथ रहेगी और वही पति का घर समझा जाएगा? इस बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए।

क्या इस बारे में कोई आपसी रजामन्दी या समझौता पाया जाता है कि मां-बाप के साथ रहने का समय एक विशेष

निर्धारित समय तक होगा? यदि ऐसा नहीं तो आरंभ में ही स्पष्ट कर देना होगा कि यह प्रबन्ध लम्बे समय पर आधारित होगा या सीमित समय के लिए। दोनों सदस्यों पर यह बात न केवल स्पष्ट होनी चाहिए अपितु उनकी इस बात पर आपसी रजामन्दी भी आवश्यक है।

क्या इस बारे में कोई आपसी रजामन्दी या समझौता पाया जाता है कि पति का घर (उसके) मां-बाप के घर से अलग होगा? यदि ऐसा है तो घरेलू सामान (फर्नीचर इत्यादि) के बारे में एक दूसरे से क्या आशाएँ रखी जाती हैं? सामान्यतया लड़की वालों से यह उम्मीद की जाती है कि वे किचन के बर्तन, छुरी, काटे तथा अन्य सामान इत्यादि उपलब्ध करेंगे इसके अतिरिक्त (सुन्नत के अनुसार) बैड रूम फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध करना भी लड़की वालों की जिम्मेदारी है शेष सामान (मेज़, कुर्सियां, सोफ़े, बिजली की मशीनें इत्यादि) की जिम्मेदारी लड़के वालों पर है। इस प्रबन्ध से किसी प्रकार बचना पूर्ण रूप से आपसी रजामन्दी से होगा तथा इस बारे में एक सदस्य दूसरे सदस्य पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा। क्या किसी सदस्य को यह महसूस हुआ है कि उन पर कोई नाजायज़ दबाव डाला गया है? क्या वह (इस से संबंधित) मामलों से खुश और राजी हैं या वे शादी से पूर्व इस बारे में कोई मामला हल करना चाहते हैं?

#### (4) दहेज

यह वह चीज़ है जो लड़की अपने साथ नए घर में लाती है। जब हज़रत मुहम्मद स.अ.व. ने अपनी बेटी हज़रत फ़तिमा रज़ि. की शादी करवाई तो आप स.अ.व. ने उन्हें किचन का सामान और बैड फ़र्नीशिंग (bed furnishing) साथ दिया - यह

---

वह दायरा है जिसके अन्दर दहेज आता है।

(अ) क्या किसी भी सदस्य पर ज़ोर डाला गया है कि वह कुछ ऐसा दें जिसको वह स्वयं अच्छा महसूस नहीं करते। दहेज में जो कुछ भी दिया जा रहा है पूर्ण रजामन्दी से दिया जाए।

(ब) क्या दिया जाने वाला दहेज प्रभावित (असर डालने) करने के लिए दिया जा रहा है या कोई आवश्यकता पूरी करने के लिए? याद रखें कि खुदा के फ़ज़्ल तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब कोई काम तक्रवे (संयम) को ध्यान में रख कर किया जाए।

(ज) क्या दहेज की राशि असाधारण तौर पर इसलिए अधिक है क्योंकि जोड़े को घर में बसाने अर्थात् set करने की आवश्यकता है? क्या दोनों सदस्य इस से खुश और राजी हैं? कभी-कभी शादियाँ बाद में इसलिए टूट जाती हैं जब दामाद यह महसूस करता है कि उसे भिखारी की भाँति समझा गया था जो अपनी फैमिली के लिए रोज़ी-रोटी उपलब्ध नहीं कर सका, इसलिए दहेज अधिक दिया गया।

(द) यदि लड़की वाले (सुन्नत के अनुसार) दहेज देने के योग्य नहीं। शायद आर्थिक कठिनाइयों के कारण या बाहरी देश से आने के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से, तो क्या यह बात लड़के वालों ने समझ ली है और स्वीकार कर ली है? यदि यह बात बाद में रंजिशों (झगड़ों) का कारण बनेगी तो शादी की कार्यवाही को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।

## (5) एक दूसरे से ज़िम्मेदारियों की उम्मीद

(अ) यदि दोनों सदस्यों के बीच इस बारे में बात हो चुकी है तो उसके बारे में अब सुनना और समझ लेना अच्छा होगा। लड़की से क्या उम्मीद की जाती है अर्थात् वह घरेलू काम, खाना

पकाना, घर को साफ़ रखना इत्यादि-इत्यादि करेगी? लड़के से क्या उम्मीद की जाती है? काम पर जाना घरेलू काम में मदद इत्यादि, इत्यादि। क्या दोनों सदस्य अपने-अपने रोल से खुश और रज्ञामन्द हैं? क्या कुछ ऐसे मामले हैं जो शायद झागड़े के कारण बन सकते हैं। जैसे लड़की से यह उम्मीद की जाए कि वह घर में योग्य बहन-भाई और भाभियां होने के बावजूद सम्पूर्ण घराने के लिए खाना बनाए। कपड़े धोए और पूरे घर की सफाई करे। लड़के से यह उम्मीद की जाए कि वह पत्नी को वर्ष में दो बार छुट्टियों में देश से बाहर दूसरे देश में सैर के लिए ले जाए इत्यादि।

(ब) क्या लड़की को यह मालूम है कि उस से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने नए घर में किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करे? शायद एक नर्स की भाँति? क्या बेटे को मालूम है कि उस से यह उम्मीद की जाती है कि उसे लड़की की फैमिली की सहायता करनी होगी। यदि वह किसी संकट में हों या कोई अचानक मुसीबत आ पड़े?

## निजी मामलों के बारे में स्पष्टीकरण

(अ) क्या दोनों सदस्यों को एक दूसरे के निम्नलिखित निजी मामलों के बारे में जानकारी है?

(i) **स्वास्थ्य (सेहत),** क्या दोनों ने एक दूसरे को किसी प्रकार की स्थायी स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में जो उनके साथ थीं या अभी तक हैं बताया है? जैसे कि मिर्गी के दौरे, निस्सन्देह वे अब दवा खाने से कन्ट्रोल में हैं, कोई स्थायी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, डिप्रेशन, मानसिक बीमारी इत्यादि। याद रखें शादियां बहुत कड़वाहट से टूट जाती हैं, यदि

ऐसी बातें ईमानदारी से न बताई जाएँ।

(ii) पुरुष के लिए स्पष्टीकरण हेतु पहली शादियां, पत्नियां पहले बच्चे, पहली मंगनियां इत्यादि।

(ब) - (1) निजी आदतें, जैसा कि तम्बाकू सेवन या नशा, गुजरे समय में शराब या ड्रग्स लेना। यदि गुजरे समय में इन बातों की आदत थी और अन्य सदस्यों को इसके बारे में मालूम था तो उचित है कि अपने होने वाले साथी को इस के बारे में साफ़-साफ़ बता दें। यदि बाद में ये बातें सामने आयीं तो शादी ईमानदारी की कमी के कारण तथा बात को खोलकर न बयान करने के कारण बुरी तरह टूट सकती है।

(2) काम या जीविका का साधन - सच-सच बताएँ आप कहाँ और क्या काम करते हैं।

(3) लड़कियां काम करने की इच्छा रखती हैं तो बताएँ।

(4) बच्चों के जल्द या देर से होने की पसन्द।

(5) पसन्द या नापसन्द कि समुराल वाले नियमानुसार मिलने के लिए आएँ।

(6) जमाअती काम में शामिल होने को पसन्द न करना और न उसकी उम्मीद।

(7) नमाज़ और जमाअत के जलसों में नियमित रूप से उपस्थित (हाज़िरी)।

(8) चन्दे की अदायगी और जमाअत में शामिल होना।

## (6) शादी का आयोजन

(1) शादी के अवसर पर ऐसी रस्में या आदतें हो सकती हैं जो खानदान में तो बहुत सामान्य समझी जाती हैं परन्तु दूसरे खानदान में उन्हीं रस्मों को गलत माना जाता है। जैसे एक

खानदान की तरफ से दूसरे खानदान के सारे घर वालों को तोहफा देना।

(2) शादी के आयोजनों (तक्रीबों) में जैसे विदाई और बलीमा में किन-किन को दावत दी जाएगी और किन-किन को नहीं।

(3) बारात (लड़के की तरफ से जो शादी का ग्रुप निकलता है)।

## **(7) आभूषण (ज़ेवर) जो शादी के अवसर पर दिए जाएँ**

सामान्य रूप से शादी के अवसर पर आभूषण दिए जाते हैं वे शादी के बाद में ही शामिल समझे जाते हैं, सिवाए इसके कि इस बारे में पहले से ही स्पष्ट तौर पर बात तय हो गई हो। इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए अन्यथा खुदा न करे यदि बाद में रिश्ता टूट जाए तो ये चीज़ें वापस करनी होंगी परन्तु जब शादी पक्की हो जाए तो फिर ये आभूषण (ज़ेवर) पत्नी के हो जाते हैं और वह उन्हें जो चाहे करे।

## **शादी के उपहार (तोहफे)**

शादी के अवसर पर दिए जाने वाले तोहफे, तोहफे ही होते हैं और जिन्हें दिए गए हैं उनकी मिल्कियत में शामिल हो जाते हैं, स्वीकार करने वाला उन को जैसे प्रयोग करना चाहे कर सकता है। परन्तु उचित यही होगा कि विशेष तौर पर सुसुराल की ओर से जो तोहफे प्राप्त हों उनका विशेष ध्यान रखा जाए ताकि उनका महत्व प्रकट हो। यदि सास की ओर से कोई कपड़ा या तोहफा मिले जो आपकी पसन्द का न हो तो फिर भी आप उसे कम से कम एक बार पहने हुए दिखाई दें। इसी प्रकार दहेज या बरी में दिए जाने वाले कपड़ों को भी लोगों के सामने पहनना

चाहिए ताकि तोहफा देने वालों को दिखाई दे। याद रहे कि यह हमेशा संभव नहीं कि दूसरे खानदान को आप की पसन्द या न पसन्द का पहले से ही ज्ञान हो। उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छी से अच्छी कोशिश की है और उस कोशिश का न दिखाना शुरू से ही एक बुरा असर छोड़ देगा। दिल को मजबूत और सख्त करके उन चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि आप क़द्र करने वाले दिखाई दें।

## (8) हनीमून Honeymoon

(i) क्या पहले से तय हुआ है या एक surprise होगा? जो भी हो हनीमून पर न जाना surprise नहीं होना चाहिए। यदि जेब (आर्थिक स्थिति) इसकी इजाज़त नहीं देती तो शुरू से ही इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। इन मामलों में स्पष्टता की कमी के कारण भविष्य में बिगाड़ पैदा होता है।

(ii) यदि देश से बाहर जाना हो तो देखना चाहिए कि क्या पासपोर्ट और सुरक्षात्मक टीके इत्यादि सब ठीक हैं? लड़के को यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि लड़की पहले से ही प्रबन्ध कर लेगी जब कि उसे तो पहले देश से बाहर जाने का ही पता न था।

## (9) लड़के के मां-बाप के साथ रहना

(1) प्रारंभिक कुछ दिन - (अ) लड़की मेहमान है और उसका बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए।

(ब) उस से अभी घर के काम संभालने की उम्मीद न की जाए।

(ज) सब घर वालों को चाहिए कि उस का स्वागत अच्छे रंग में करें।

(ड) लड़की ने अभी-अभी अपने घर के आरामदायक बातावरण को छोड़ा है तथा मां-बाप से दूर रहने के अफसोस और पीड़ा का अहसास रखती होगी। इस बात को समझना चाहिए और हमर्दी रखनी चाहिए। इस अवसर पर हमर्दी न दिखाना सुसुराल के कठोर और निर्दयी (बेरहम) होने का असर प्रकट करता है। इसलिए इस बात का बहरहाल ध्यान रखें।

(क) पति के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य को लड़की के घर का कोई काम करने के लिए नहीं कहना चाहिए विशेष तौर पर सास और ननद को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये बातें भी एक साधारण बातचीत के रंग में करनी चाहिए न कि किसी कठोर और रोबदार अन्दाज़ में। याद रखिए कि लड़की को अपने घर के बातावरण (माहौल) में धीरे-धीरे, प्रेम और नर्म से शामिल करना है, ज़बरदस्ती घर का सदस्य बनाने की कोशिश न करें।

(ख) घरेलू कामों को इन्साफ से इस तरह बांटा जाए कि घर का हर सदस्य घर की देख भाल में भाग ले। लड़की दासी या नौकरानी के तौर पर घर में नहीं आई।

(2) नई आदतें और तरीके – इस बात का ध्यान रखना कि विभिन्न खानदानों में अलग-अलग रस्में और तरीके होते हैं और इस बात का अहसास रखना चाहिए कि उनका काम करने का ढंग अलग है अतः आप अपना ढंग उन पर ज़बरदस्ती न डालें और न उनकी आदतें या ढंगों पर हँसी ठढ़ा करें। हमेशा सम्मान और समझदारी और उत्तम ढंग से पेश आएँ।

(3) हर घर में संबंधों का अन्तर होता है – हर घर में आपसी संबंध अलग-अलग होते हैं। घर में संभव है कि मां सारे फैसले करती हो और किसी दूसरे में सब से बड़ा बेटा या बाप इत्यादि। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि संभव है कि किसी घर में किसी विशेष प्रकार के फैसले एक ही व्यक्ति

---

करता हो। दोनों पति-पत्नी को चाहिए कि वे शुरू के दिनों में ही इस मामले को पहचान लें और मालूम कर लें और फिर उन का पालन भी करें। अपनी रस्मों और ढंगों को दूसरों पर लागू करने की कोशिश न करें। इस का बड़ा अवसर बाद में आएगा जब शादी पक्की हो जाएगी यह नसीहत दोनों पति-पत्नी के लिए है।

(4) घर वालों की उम्मीदें - (अ) कि शुरू के दिनों में लड़की दुल्हन की भाँति है और लड़का दूल्हे की भाँति। लड़की को चाहिए कि सुबह तैयार होकर अच्छे लिबास में नीचे आए और लड़के को चाहिए कि वह दामाद के कर्तव्यों को निभाता हुआ अपने ससुराल वालों से सम्मान के साथ व्यवहार करे।

(ब) दूसरी ओर से दिए जाने वाले उपहारों (तोहफों) का सम्मान किया जाए। तोहफों की क़ट्र करना अच्छे आचरण में शामिल है। ससुराल से प्राप्त कमीज़ या हार का पहनना न केवल अच्छे आचरण में गिना जाएगा अपितु बहुत अच्छा असर भी छोड़ेगा।

(ज) बहू को चाहिए कि वह अपने ससुर और सास का अधिक सम्मान करे और बेटे को भी चाहिए कि वह अपने मां-बाप को बतौर मां-बाप बहुत सम्मान करता रहे और दुल्हन के आने से उसके व्यवहार में कमी न आए। दोनों से उम्मीद रखी जाती है कि वे एक-दूसरे के मां-बाप से नर्मी और सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे।

(5) घरेलू परेशानियाँ - (अ) कई अवसरों पर दोनों मां-बाप को अपनी औलाद को खो देने का अहसास अवश्य होगा क्योंकि अब उनकी औलाद केवल उनकी नहीं रही बल्कि किसी दूसरे के साथ भी सम्बद्ध है। यह प्रत्याशित बात है और इस बात को समझना चाहिए। यदि यह बात दिखाई दे तो मनुष्य को क्रोध या कष्ट नहीं महसूस करना चाहिए बल्कि उस पर केवल सब्र

करे। इसे खत्म करने का उत्तम ढंग यह है कि मनुष्य स्वयं खानदान का एक भाग बन जाए। ये दोनों पति-पत्नी के लिए आवश्यक है।

(ब) सामान्य तौर पर ननदों के साथ मामले मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि एक भाई को किसी दूसरे के साथ देखना मुश्किल होता है। इसका उत्तम हल यह है कि यथासंभव इस बात को नज़र अन्दाज़ करें। उनसे दोस्ती करने की कोशिश करें। ऐसे मामलों की तलाश रहे जो आप दोनों में परस्पर पसन्द वाले हों और उन के द्वारा दोस्ती बनाई जाए।

(6) एक दूसरे से उम्मीदें - (अ) विश्वास (ऐतमाद) अब जीवन में एक नया साथी आ गया है। अतः ज़रूरी है कि आपस के हर राज़ और गुप्त बात को राज़ ही रखा जाए। इस से अभिप्राय यह है कि अब मां-बाप, बहन-भाई से अधिक जीवन साथी विश्वसनीय बन गया है। याद रखो कि यह विश्वास कभी टूटने न पाए।

(ब) सम्मान - आपकी पसन्द या नापसन्द, आपकी रुचि और शौक़, उनका सम्मान आप का अधिकार है और इसी प्रकार उसके साथी का भी यही अधिकार है। आप दो भिन्न लोग हैं जो अभी आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। आपस में एक-दूसरे के शौक और रुचियां परस्पर एक जैसी करने का बाद में पर्याप्त समय होगा।

(ज) आपस में एक दूसरे की बात को समझना और समझाना - पति-पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे के कष्टों और कठिनाइयों को समझें अर्थात् वे कष्ट जो उस समय आते हैं और आ सकते हैं जब दो लोगों को आपस में जोड़ा जा रहा हो। समझने और समझाने से अभिप्राय यह है कि एक दूसरे का बदलने का अवसर और समय दें। इस बात का अहसास करें कि दोनों सदस्यों को आपस में घुलने-मिलने और एकरंग होने में

कुछ न कुछ कठिनाई अवश्य आ रही होगी।

(ड) सहनशीलता (बर्दाश्त) - जब उद्देश्य पारस्परिक एकता हो तो एक दूसरे की ग़लितियों और कठिनाइयों पर सहनशीलता और सब्र दिखाना चाहिए। कुछ ऐसे मामले भी हुआ करते हैं जिन्हें समाप्त करना भी अत्यन्त कठिन कार्य होता है। जैसे संभव है कि एक व्यक्ति सोते हुए खर्टे लेने से न रुक सके या उसे पसीना बहुत आता हो या किसी विशेष ढंग से पीता हो इत्यादि-इत्यादि। अतः सहन करो और अधिक संवेदनशील बनो। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो खाने-पीने से संबंध रखते हों उदाहरणतया खाना किसी विशेष ढंग से बनाना इत्यादि। यहाँ बर्दाश्त करने और सब्र करने की आवश्यकता है, यह नहीं कि शर्म महसूस करके यह कहना कि आपको तो ससुराल में खाने-पकाने के अन्दाज का सम्मान ही नहीं।

(क) पति-पत्नी के संबंध - उचित है कि इस प्रकार के मामलों के बारे में केवल पति-पत्नी के मध्य बातचीत रहे। विशेष तौर पर पहले कुछ सप्ताह में किसी दूसरे व्यक्ति को इसमें दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं। जोड़े को चाहिए कि वे इन मामलों को आपस में हल करें और अनुभवहीनता को अहसास और हमर्दी से हल करें।

(ख) आपस में समय गुजारना - शादी के शुरू के दिनों में यही उम्मीद की जाती है कि पति-पत्नी आपस में अधिक से अधिक समय इकट्ठे गुजारेंगे। इस प्रकार रहना जैसे कोई परिवर्तन (तब्दली) ही नहीं हुआ ठीक नहीं है और यह भविष्य के लिए अच्छी बुनियाद रखने का कारण नहीं होगा। परन्तु इसके साथ-साथ घर के शेष सदस्यों के अधिकार का भी ध्यान रखना आवश्यक है।

(ि) एक दूसरे को कम से कम इतनी फुर्सत या अवसर दें कि वह मां-बाप या बहन-भाई के अधिकारों का ध्यान रख सके।

उदाहरणतया सुबह उनसे मिलना या खाना खाना। यदि यह बात घर में सामान्य हो तो लगाव से होने दें, रोक न बनें।

(ii) घर के अन्य सदस्यों का भी हाल पूछना ताकि वे यह महसूस न करें कि उनको उपेक्षित कर दिया गया है।

(iii) अपने घर फोन करके माँ-बाप का पता करना और हाल पूछना और उनको अपने हालात इत्यादि बताना।

(iv) दोस्तों से संबंध रखना और उनको अपनी परिस्थितियों के बारे में बताना, किन्तु इस बात का ध्यान रखना कि अब ज़िम्मेदारियाँ बदल चुकी हैं और अब पति या पत्नी ही सब से महत्वपूर्ण हैं। अतः ऐसे कामों के समय को कम करना पड़ेगा जो दोस्तों के साथ लगाते हैं परन्तु पूर्ण रूप से छोड़ देना भी ठीक नहीं।

(7) आरंभ के कुछ दिनों के बाद जब ये दिन गुज़र जाते हैं और शादी की जो अत्यन्त खुशी की अवस्था है कुछ थमती है तो मनुष्य अपने साथी और उसके खानदान को एक अलग ढंग से तथा नई रोशनी में देखना शुरू कर देता है। ऐसी बातें जो पहले शायद उपेक्षित कर देता था अब विशेष और महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। याद रखना! अब यह एक नई ज़िन्दगी है और इसमें आपने समझौता करना है। कभी आपने हक्क (अधिकार) छोड़ा तो कभी उन्होंने, बीच का रास्ता अपनाओ।

**यदि कुछ कठिनाइयाँ सामने आएँ तो उन्हें दूर करने के लिए**  
**इन बातों को ध्यान में रखा जाए :-**

(i) तक्वा (संयम) को हमेशा ध्यान में रखें और वह यह है कि क्या यह काम खुदा तआला की प्रसन्नता का कारण होगा या अप्रसन्नता का। इस बात को सदैव प्राथिमकता दें।

(ii) जीवन साथी के साथ समस्याएँ - उनको आपस में

बातचीत के रंग में बुद्धिमत्ता और सहनशीलता द्वारा हल किया जा सकता है।

(iii) **फैमिली की समस्याएँ** – इनको भी आपस में बातचीत के रंग में बुद्धिमत्ता और सहनशीलता द्वारा हल किया जा सकता है। इस बारे में उचित होगा कि फैमिली को शामिल न किया जाए क्योंकि वे अपनी सूझ-बूझ के अनुसार जो उचित समझेंगे बताएँगे, जबकि आपके अभी नए जीवन का आरंभ हुआ है तथा आप के संयुक्त आचरणों एवं प्राथमिकताओं के परिणामस्वरूप आप अपने विचार एवं आदतों को तैयार कर रहे होंगे। ऐसे में फैमिली का हस्तक्षेप अधिकतर शादियों के टूटने का कारण बन जाता है।

(iv) झगड़े के अवसर कभी न कभी अवश्य पैदा होंगे और कभी-कभी अधिकर होंगे किन्तु इस से अधिक आवश्यक यह है कि :-

(क) जब दूसरा गुस्से में हो तो बात करने या उत्तर देने से बचा जाए।

(ख) किसी भी स्थिति में गालियाँ या अपशब्द न निकालें।

(ग) कभी भी दूसरे सदस्य की फैमिली को अपने झगड़े के बीच न लाएँ (कि आपके माँ-बाप ऐसे हैं या दूसरे रिश्तेदार इस प्रकार के हैं इत्यादि, इत्यादि)।

(घ) कभी भी सख्ती न करें (अर्थात् चीज़ें फैंकना या किसी भी प्रकार से मारना) एक-दूसरे के लिए सम्मान खोने का कारण यही होता है कि सख्ती का व्यवहार किया जाए।

(ङ) हमेशा बहस को जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर दिया जाए। यह इस प्रकार भी किया जा सकता है कि दोनों में से एक माफ़ी मांग ले (चाहे उसकी ग़लती न भी हो और दूसरा मानने को तैयार न हो, आप दूसरे को बाद में भी जब उसका

गुस्सा ठंडा हो जाए बता सकते हैं) या फिर दूसरे की बात का उत्तर न दें (क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है)।

(च) झगड़े को हल किए बिना कभी भी बिस्तर पर न जाएँ।

(v) यदि झगड़े लगातार होने लगें – कभी-कभी ऐसी स्थिति पैदा होगी। इसमें घर के समझदार बुजुर्ग मदद कर सकते हैं यदि वे किसी एक के साथ पक्षपात न करें। कभी-कभी फैमिली में अपेक्षाकृत छोटी आयु वाले जो आप के साथी की समान आयु वाले हैं वे उनके अधिक निकट होते हैं और आपकी सहायता में काम आ सकते हैं। यदि यह उपाय भी सहायक न हो सके तो उचित है कि बाहर से गुप्त तौर पर सहायता प्राप्त करें। यह बात भी आवश्यक है कि इस्लाही कमेटी से भी सम्पर्क करें या अपने इलाके के काउंसलर या advisor से। कभी भी दुआओं की शक्ति को न भूलें। (रब्बना हबलना मिन अज्वाजिना व जुरियातिना कुर्रता आ'युनिन...) हुजूर अनवर से और इसी प्रकार मुत्तकी (संयमी) लोगों से दुआ की दरख्खास्त करना भी अवश्यक है और सवाब (पुण्य) का कारण भी।

(vi) फैमिली के राज़ – पति-पत्नी का काम है कि जैसे भी हों उन्होंने आपस में नया जीवन गुजारना है। एक दूसरे पर अपना भरोसा कभी न तोड़ें। बाहर के लोगों को न बताएँ कि घर में क्या हो रहा है। विशेष रूप से दूसरों के सामने अपने नए घर वालों की कमियों या दोषों की चर्चा कदापि न करें।

### इन से बचो और होशियार रहो :-

(क) ऐसे रिश्तेदारों से जो यह जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि कैसा चल रहा है, परन्तु वास्तव में वे इन बातों से केवल मज़ा लेना चाहते हैं, मदद कम करते हैं।

(ख) ऐसे दोस्तों से, जो मदद करने की बात तो करते हैं परन्तु आपके विश्वास को क्रायम नहीं रख सकते। विशेष तौर पर आपकी आवश्यकतानुसार।

(ग) ऐसे लोग जो आप से आपकी नई फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद से कि आप में कोई दोष ढूँढ़ें।

### अपने साथी के साथ अकेले जीवन गुजारना :-

उस जीवन की तैयारी करें जो आपके पहले जीवन से बिल्कुल भिन्न होगा।

(क) याद रखें कि सामान्य रूप से आपके घर की यह रुटीन (दिनचर्या) बन जाए कि -

(i) इकट्ठे जाएं और नाश्ता भी इकट्ठे करें, पति को खाना तैयार न करने दें कि वह अकेले ही नाश्ता करे और आप बिस्तर में अकेली लेटी हुई हों।

(ii) यदि आप दोनों इस बात पर सहमत हों तो फिर इस बात का ध्यान रखें कि पति के कपड़े उसके काम पर जाने से पहले इस्तरी किए हों।

(iii) यदि खाना साथ देना है तो ध्यान रखें कि एक दिन पूर्व रात को तैयार करके रखें या उचित समय से पहले।

(iv) ध्यान रखें कि शाम का (या दोपहर का यदि वह उसके लिए घर आए) खाना समय पर तैयार हो, उन चीजों को बनाने की कोशिश करें जो उसकी पसन्द की हों।

(v) दिन में घरेलू काम भी करते रहें जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ Hoover फेर दिया या झाड़ू से सफाई कर दी। खाना तैयार करना और साथ ही बरतन धोना इत्यादि। स्वयं को व्यस्त रखें।

(vi) इस बात का भी ध्यान रखें कि जब वह घर आए तो आप भी तैयार हों और उचित लिबास पहनें हों, जो काम से थका घर आए तो यह बात कष्ट पहुँचाने वाली होती है कि पत्नी अपने रात के सोने वाले कपड़ों में ही इधर-उधर फिर रही है चाहे वे कपड़े साफ ही क्यों न हों।

(ख) जब पति घर से काम के लिए जाता है तो बिल्कुल अकेलापन महसूस होने लगता है और डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं। आपको इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि :-

- (i) अकेले में अधिक सोना नहीं, स्वयं को व्यस्त रखना।
- (ii) इन्टरनेट पर अधिक समय व्यय करना या फोन पर समय खर्च करना हानिप्रद है।
- (iii) सोते रहना तथा स्वयं की तथा घर की परवाह न करना भी अच्छा नहीं।

**(ग) अकेले में समय का उचित उपयोग करें :-**

- (i) घर के भिन्न-भिन्न कामों का एक प्रोग्राम बनाएँ जिसमें हर काम को एक निर्धारित समय में समाप्त किया जाए।
- (ii) स्वयं को ऐसे कामों में व्यस्त रखें जिनका लाभ भविष्य में मिलेगा (जैसे किसी चीज़ में कोर्स करना)
- (iii) ऐसे लोगों से दोस्ती रखें जिनसे आपके पति भी प्रसन्न हों, कभी ऐसे लोगों से दोस्ती न रखें जिन को आपके पति पसन्द न करें। यह दोनों पर अनिवार्य है और दोनों का अधिकार है।
- (iv) दोनों खानदानों में कभी-कभी फोन करें और उनको अपनी परिस्थितियों के बारे में बताते रहें और दुआएँ लेते रहें।

(v) हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पुस्तकों को पढ़कर अपनी धार्मिक जानकारियों को बढ़ाने में व्यस्त रहें। यह बात भविष्य में आप को अपनी औलाद के लिए एक अच्छा नमूना प्रस्तुत करने में सहायता देगी।

(vi) दोनों मां-बाप से समय-समय पर बातचीत करते रहें और आपस में एक-दूसरे को नसीहत करते रहें। इस से सब को तसल्ली प्राप्त होती है।

## (10) आर्थिक (धन संबंधी) मामले

प्रायः शादी के संबंधों में खराबी के समय आर्थिक मामले भी सामने आ जाते हैं, उचित यह है कि इन मामलों को इन्साफ़ और अहसास से संभाला जाए।

घर के खर्चे :- क्या खर्चे दोनों सदस्यों की सहमति और अनुमति के अनुसार है? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पति ने अपने किसी रिश्तेदार को आर्थिक सहायता देने का वादा दिया होता है और इस बात को स्पष्ट तौर पर समझने की आवश्यकता है। यह लड़की को अधिकार नहीं है कि पति की आय (आमदनी) से अपने किसी रिश्तेदार की मदद का आग्रह करे या ज़ोर दे। परन्तु यदि स्थिति यह हो कि पति की आय से एक बहुत बड़ा भाग पति-पत्नी के खर्चों के अलावा बाहर जा रहा हो तो उसका स्पष्टीकरण शुरू से ही होना चाहिए तथा दोनों ही इस बात पर शादी से पहले सहमत हों।

आपस में तय करें कि घर कैसे चलाना है। कौन है जो प्रतिदिन घर के काम-काज को चलाएगा? सामान्य तौर पर यह काम पत्नी का होता है किन्तु इसके बारे में कोई विशेष क़ानून नहीं है, जो भी आपस में तय हो दोनों सदस्यों की आपसी सहमति से होना चाहिए।

यदि घर की स्त्री ने घर के खर्चे संभालने हैं तो आवश्यक है कि यह तय किया जाए कि प्रत्येक सप्ताह या हर महीने कितनी रकम उचित तौर पर उपलब्ध करनी चाहिए ताकि घर के कार्य सुचारू रूप से हो सकें। इस लिए हमेशा रकम होनी चाहिए और

समय-समय पर देखना भी चाहिए कि जितनी रकम दी जा रही है वह उचित है कि नहीं।

यह बात तथ्य करनी चाहिए कि घर को चलाने के लिए पति-पत्नी की क्या-क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। अर्थात् बिजली, पानी का बिल कौन देगा। इन्टरनेट के बिल कौन देगा, गाड़ी का पैट्रोल कौन देगा, इन्श्योरेन्स कौन देगा इत्यादि।

घर के खर्चों के अलावा पत्नी को व्यक्तिगत तौर पर भी तथा उचित तौर पर जेब खर्च देना आवश्यक है ताकि वह अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह शायद आवश्यक न हो यदि वह स्वयं काम कर रही है और कमा रही है। फिर इस स्थिति में घर के कार्य आपसी सहमति से हों।

### लोगों को दावत (आमंत्रण) देना :-

दोनों पति-पत्नी को एक-दूसरे को बताए बिना किसी को घर आने की दावत नहीं देना चाहिए (अपवादी परिस्थितियाँ वैध हैं)। किसी भी सदस्य अर्थात् पति-पत्नी को किसी और को घर पर नहीं बुलाना चाहिए जबकि उनमें से किसी एक को उन से कोई आपत्ति हो सिवाए उन लोगों के जिन का खुदा तआला ने अधिकार निश्चित किया है (जैसे मां-बाप और सगे-संबंधी रिश्तेदार)।

### रिश्तेदारों से मिलना :-

यह एक अच्छी बात है कि दोनों परस्पर एक-दूसरे के मां-बाप से नियमित रूप से मिलें दोनों के अधिकार हैं तथा दोनों के विश्वास के लिए यह आवश्यक है कि इन अधिकारों को नष्ट न

किया जाए।

## छुट्टियाँ :-

शादी एक अनमोल बन्धन है और यह शायद अनुचित है कि पहले वर्ष में ही छुट्टियाँ मांगी जाएँ। परन्तु इसका कोई सैद्धान्तिक नियम नहीं है। घर के खर्चों को ध्यान में रखना चाहिए इससे पहले कि किसी छुट्टी या अवकाश की मांग की जाए तथा यह देखना भी आवश्यक है कि जेब इजाजत देती है? तथा क्या यह उचित है? अच्छी छुट्टियाँ जोड़े को एक-दूसरे के निकट लाती हैं और उन्हें ताज़ा कर देती हैं। ऐसी छुट्टियाँ जो दबाव में ली जाएँ, दोनों में से किसी को कोई लाभ नहीं देतीं।

## बच्चे :-

यह फैसला कि बच्चे कब पैदा हों आपसी सहमति से होना चाहिए। सास-ससुर की ओर से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, तथापि अपनी इच्छा को प्रकट करने में कुछ हानि नहीं है। यदि बच्चों के पैदा होने में आपस में कोई मतभेद हो तो उसे शादी के पहले या दूसरे वर्ष में मसला नहीं बनाना चाहिए। संभव है कि बच्चे पैदा होने में कुछ दोष हों। यह मेडीकल समस्याओं के कारण से हो सकते हैं। मेडीकल दृष्टिकोण से बात करते हुए बाँझपन समान रूप से दोनों की ओर से हो सकता है। इसलिए यह उचित नहीं है कि किसी एक सदस्य को दोषी ठहराया जाए। यदि एकवर्ष कोशिश करने के बाद भी बच्चा पैदा न हो तो मेडीकल सहायता लेनी चाहिए तथा दोनों सदस्यों को इकट्ठे डाक्टर के पास जाना चाहिए।

## धन और जायदाद :-

---

यह नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम में जो कुछ मर्द कमाता है वह पति-पत्नी दोनों के लिए है परन्तु जो पत्नी कमाती है केवल उसकी सम्पत्ति और अधिकार है वह जैसे चाहे प्रयोग करे। पतियों को अपनी पत्नियों की आमदनी पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि उन्हें भी उसमें से कोई हिस्सा मिले और न ही उन्हें मजबूर करना चाहिए या मनवाना चाहिए कि वे तुम्हें अपनी आमदनी दें। वे पति जो घर के खर्चे कम देते हैं यह सोचकर कि पत्नी का मिल कर अदा कर देने चाहिए वे गलत करते हैं। पत्नी की ओर से यदि कोई भी पैसा दिया जाए तो वह उसकी अपनी इच्छा और अपनी खुशी से होना चाहिए।

## रिश्ता-नाता कमेटी कनाडा को निर्देश

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

रिश्ता-नाता कमेटी के सेक्रेटरी ने बताया कि पढ़े-लिखे नौजवानों का selection area बहुत विशेष होता है।

इस पर हुजूर अनवर ने फ़रमाया कि पढ़े-लिखे लोगों के बारे में मुझे यह भी मालूम हुआ है कि वे लड़की से डिमांड कर रहे होते हैं कि तुम पर्दा नहीं करोगी, ओढ़नी नहीं लोगी, सर नहीं ढकोगी। हुजूर ने फ़रमाया - वस्तुतः उनकी काउंसिलिंग होनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि इस्लामी शिक्षा क्या है।

हुजूर अनवर ने फ़रमाया - अब मैंने निकाह के खुतबों में कुछ कहना शुरू कर दिया है ताकि लोगों में नव विवाहिता जोड़ों में अपनी जिम्मेदारी का अहसास पैदा हो, मुरब्बियों को भी कहता रहता हूँ, मेरे खुतबों में से विषय चुने, मर्म निकालें और उन्हें अपने काउंसलिंग के निर्देशों में शामिल करें। हुजूर अनवर ने फ़रमाया, लड़कों और लड़कियों की ओर से जो विभिन्न प्रकार के सवाल उठते हैं उनके प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हुजूर अन्वर ने फ़रमाया कि मैंने भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न निर्देश दिए हैं उन सब को लें, किसी एक खुत्बे पर ही निर्भर न रहें।

हुजूर ने फ़रमाया काउंसलिंग के समय यह बात समझावें कि शादी का उद्देश्य क्या है? इस बारे में इस्लामी शिक्षा क्या है? तुम्हारी सोच क्या है? यह बताएँ कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा संबंध किस खानदान से है, तुम्हारे बड़ों ने क्या कुर्बानियाँ दीं और फिर खुदा ने किस प्रकार अपने फ़ज्जल किए हैं। अब दुनियादारी पर मत जाओ। अल्लाह के फ़ज्जलों (कृपाओं) और इनामों का शुक्रिया यही है कि धर्म पर रहो और अपने खानदान की नेकियों एवं तक्वा (संयम) पर रहो और खानदान की मर्यादा बनाए रखो।

हुजूर अनवर ने फ़रमाया - असल चीज़ नेकी है, तक्वा (संयम)

है यह होना चाहिए।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - यहाँ कनाडा, अमरीका तथा पश्चिमी देशों में कुछ लड़के कुछ अनुचित कार्यों में involve (संलिप) हो जाते हैं और उन में कुछ बुराइयाँ जन्म ले लेती हैं। कभी तरबियत और समझाने के परिणामस्वरूप सुधार हो जाता है और कभी नहीं होता। इसी प्रकार कभी लड़कियों में भी बुराइयाँ जन्म ले लेती हैं। बहरहाल जब रिश्ता हो रहा हो तो ये बातें सामने आनी चाहिएँ और दोनों को तक्कवा के साथ बतानी चाहिए ताकि बाद में झगड़े न हों।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - रिश्ता नाता कमेटी को राजदार होना चाहिए। आप का विश्वास क्रायम होना चाहिए। अपना विश्वास क्रायम करें। आप लोगों के हमर्दद बनें। लड़के के हमर्दद हों।, लड़की के हमर्दद हों। आप अपनी कमेटी के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं। सही राय रखने वाले तथा नेक लोगों को आप शामिल कर सकते हैं, मुबल्लिंग को भी शामिल कर सकते हैं। मूल बात यही है कि लोगों में अपना विश्वास क्रायम करें कि जो बात होगी वह राज में रहेगी।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - कुछ खानदान या लड़के ऐसे हैं जो शादी के बाद लड़की को ताने देते हैं कि दहेज लेकर नहीं आई, औलाद नहीं होती, उसकी तो लड़कियाँ होती हैं और फिर अलगाव हो जाता है। कुछ दादियाँ नानियाँ पाकिस्तान से देहाती माहौल से आई हैं उन पर देहाती असर छाया हुआ है, उनकी इस मूर्खतापूर्ण सोच के कारण कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - फिर यहाँ लम्बे समय से आए हुए खानदान हैं। उनकी सोच यहाँ की बन चुकी है, आज्ञाद सोच है। लड़के भी मुझे लिखते हैं और लड़कियाँ भी लिखती हैं कि हमें इन समस्याओं का सामना है यदि मैं उनकी सारी बातें और खत आप को भेज दूँ तो आप को किसी और काम के लिए फुरसत ही न मिले।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - यदि मां-बाप में आपस में विश्वास न हो, एक-दूसरे की बात न समझते हों तो यह बात भी रिश्तों में

समस्या का कारण बनती है इसलिए आप को किसी मनोवैज्ञानिक (साइकालोजिस्ट) को भी अपने साथ रखना होगा।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - लड़कों और लड़कियों से पूछना होगा कि किस प्रकार का रिश्ता चाहती हैं, कैसा पति, कैसी पत्नी होनी चाहिए। यदि लड़की को लड़के के मां-बाप के साथ रहना पड़े तो क्या सीमाएँ (limitations) होंनी चाहिए। पति को कहा जाए कि मां को, बाप को, पत्नी को उसका हक्क दो। सारे हक्क (अधिकार) उसको बताएँ। अधिकारों (हुकूक) के बारे में उसे इस्लामी शिक्षा बताएँ। इस सम्बन्ध में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वक्तव्य निकालकर दिए जा सकते हैं।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - तरबियत - विभाग का एक बहुत बड़ा काम है, इसी प्रकार खुदाम, अन्सार और लज्जा के तरबियती विभागों का भी बड़ा काम है, सब मिलकर तर्बियत करते रहें। हुजूर अन्वर ने फ़रमाया लड़के और लड़की को स्पष्ट करके बता दें, दोनों खानदानों को बता दें कि ये परस्थितियाँ हैं और ये समस्याएँ हैं, इस प्रकार रहना होगा इत्यादि इत्यादि। फिर इसके बाद वे जो चाहें फैसला करें।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - आपको एक सेमीनार का आयोजन करना होगा जिसमें ये समस्याएँ बिना नाम लिए वार्तालाप के अन्तर्गत लाई जाएँ और इन मामलों एवं समस्याओं के बारे में इस्लामी शिक्षाएँ बताई जाएँ।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - खुदाम और लज्जा दोनों अपने-अपने तौर पर सर्वे करके सवालनामा (questionnaire) तैयार करें ताकि अन्दर की बातें मालूम हों। हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - मैंने U.K. के खुदाम से और लज्जा से अलग-अलग सर्वे कराया था। लड़कों और लड़कियों की ओर से बहुत सी बातें, मामले तथा उनके प्रश्न सामने आए थे जिनको दृष्टिगत रखते हुए मैंने U.K. और जर्मनी के जल्सों और (इजित्माओं) लिए लैक्चर तैयार किए थे। इस प्रकार सर्वे कराने

और दोनों की समस्याएँ जानने से बहुत सारे प्रश्न सामने आ जाएँगे। फिर उनके फलस्वरूप आगे तरबियती और सुधार संबंधी कार्यक्रम बनाया जा सकता है।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - कुछ लड़कों की माएँ यह कहती हैं कि हमारा लड़का तो कमा रहा है उसका रिश्ता तो हम स्वयं तलाश करेंगी, जो निकम्मा हो उसको जमाअत के सुपुर्द कर देती हैं। फिर जो लड़का कमा रहा होता है उसका इन्तिजार करती हैं कि कमा ले और जब बहुत देर हो जाती है और रिश्ता नहीं मिलता तो फिर जमाअत को कहती हैं कि उसका रिश्ता करवाओ।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - यू.के का सर्वे यह है कि वहाँ 65% रिश्ते क्रायम रहते हैं और 35% टूटते हैं। यहाँ कनाडा में 20% टूटते हैं आपको इस संख्या को भी कम करना चाहिए। चाहिए यह संख्या और अधिक न बढ़े।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - कभी यह कह दिया जाता है कि लड़का अहले किताब (यहूदी या ईसाई) है। आज इस युग में कौन सा अहले किताब है जो शिर्क नहीं कर रहा? मुश्तिक से तो शादी की इजाजत नहीं है। अतः स्वयं को समझाने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ेगी।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - जो लड़के जमाअत से बाहर शादी करते हैं तो उनको जमाअत से इस कारण निकाला जाता है कि उन्होंने किसी गैर अहमदी मौलवी या क़ाज़ी से निकाह पढ़वाया होता है। जो व्यक्ति किसी गैर अहमदी लड़की से नियमानुसार इजाजत लेकर शादी करता है और उसका निकाह अहमदी पढ़ाता है तो उसकी विशेष परिस्थितियों में इजाजत दे दी जाती है।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - कुछ गैर अहमदी लड़कियाँ अपने मां-बाप के इन्कार के कारण दरख्वास्त करती हैं कि उनका वली नियुक्त कर दिया जाए तो जमाअत विशेष परिस्थितियों के कारणवश वली नियुक्त कर देती है तथा ऐसी परिस्थिति में निकाह मस्जिद में

नहीं होता और मुबलिलग़ा नहीं पढ़ाता किसी और स्थान पर होता है तथा कोई अहमदी दोस्त पढ़ा देता है। हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - ऐसी शादी पर मैंने जमाअत के पदाधिकारियों को मना किया हुआ है वे नहीं जाएँगे।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - जो arrange marriage system है उसमें भी तर्बियत की कमी है। उन्हें समझाएँ कि पहली महत्वपूर्ण बात दुआ है। शादी में धन-दौलत, सुन्दरता, खानदान, वंश और धर्म देखा जाता है आँहज़रत स.अ.व. ने फ़रमाया है कि तुम धर्म को देखो। तुम्हारी दृष्टि धर्म पर होनी चाहिए। लड़का भी धार्मिक हो और लड़की भी।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - रिश्ते देखने और फ़ैसला करने में आप को, लोगों को दुआ की तरफ लाना होगा कि दुआ करके फिर कोई निर्णय लें। अरेन्ज मैरिज में भी आप को काउंसलिंग की आवश्यकता है। यह नहीं कि घर गए, लड़की की तस्वीरें लीं, देख लीं और फिर बाद में इन्कार करते रहे। ऐसा नहीं होगा कि लड़की को बिकाऊ माल समझा जाए। रिश्ता चुनने के भी कुछ नियम हैं उन्हें दृष्टिगत रखना होगा।

हुजूर अन्वर ने इस प्रश्न पर कि (कई बार लड़के या लड़की के हवाले से जो छानबीन की रिपोर्ट होती है वह मुरब्बियों या जमाअत के सदरों की तरफ से फ़ैमिलियों को बता दी जाती है जिसके कारण नाराज़गियाँ पैदा हो जाती हैं) फ़रमाया कि मुरब्बियों (मुबलिग़ों) और सदरों को निर्देश दें कि वे स्वयं किसी को न बताएँ। जो भी रिपोर्ट हो स्क्रेटरी तर्बियत या अमीर के पास आए और फिर जिसे भी बताना है आप दोनों में से कोई बताए ताकि मुरब्बियों या जमाअत के सदरों की जमाअत के साथ जो डीलिंग है उसमें कोई खराबी पैदा न हो और जमाअत की तर्बियत के काम जारी रहें। यदि किसी फ़ैमिली ने कुछ नाराज़गी ज़ाहिर करनी है तो वह मर्कज़ी स्तर पर ही हो। जमाअतों में कोई ऐसा माहौल पैदा न हो। मर्कज़ को अपनी

जमाअत के पदाधिकारियों (उहदेदारों) पर हाथ रखना होगा ताकि तर्बियत का काम होता रहे। हुजूर अन्वर से पूछा गया कि कई बार मां-बाप के हस्तक्षेप के कारण शादियाँ नहीं हो पातीं। इस पर आपने फ़रमाया -

आप देखें कि ऐसे कितने मां-बाप हैं, फिर उन्हें समझाएँ। फ़रमाया कि अभी मैंने यू.के में दो रिश्ते तय करवाए हैं। आप मां-बाप को पहले समझाएँ कि बच्चों की शादी कर दो ताकि ये सुरक्षित हो जाएँ। यदि वे न मानें और आग्रह करें तो फिर उनको बता दें कि ये जब हमारे पास आएँ तो हम उनकी शादी करवा देंगे ताकि वे ग़लतियों से बच जाएँ और सुरक्षित हो जाएँ। हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - परन्तु ऐसे हर केस में इसकी मुझ से इजाजत लेनी आवश्यक होगी।

**फ़रमाया** - मां-बाप की भी काउंसलिंग की आवश्यकता है। मां-बाप को अलग बुलाएँ और उनकी भी काउंसलिंग करें।

**फ़रमाया** - कुछ माएँ शिक्षित हैं और कुछ अनपढ़ हैं। दोनों की सोचें अलग हैं उनकी सोचों एवं विचारों के अनुसार उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए।

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - कभी यह शर्त रख देते हैं कि लड़की शादी के बाद पढ़ेंगी और सुसुराल वाले उस का खर्च अदा करें। फ़रमाया यह ग़लत है। यदि शादी के बाद पढ़ना है तो पति की इजाजत से होगा, अन्यथा अपने घर से पढ़कर आए।

इस प्रश्न के उत्तर में कि खुदाम और लज्जा में भी रिश्ता-नाता के हवाले से किसी की निश्चित तौर पर नियुक्ति होनी चाहिए। हुजूर अन्वर ने फ़रमाया कि असल काम तो जमाअत के रिश्ता-नाता विभाग (शो'ब:) का है तथापि खुदाम में एक सहायक सदर और लज्जा में एक सहायिका सदर के सुपुर्द यह काम इस सीमा तक हो सकता है कि ये दोनों अपनी-अपनी लिस्ट को update रखें। लज्जा जो सेमीनार करें, माँओं तथा लड़कियों को बुलाएँ और रिश्ता-नाता

की समस्याओं पर बातचीत करें तथा उनको इस्लामी शिक्षाओं के बारे में बताएँ और उन्हें समझाएँ तो यह काम सहायिका सदर के द्वारा हो सकता है और इसी प्रकार खुदाम में यह काम सहायक सदर कर सकते हैं। परन्तु ये दोनों आप को रेग्लर रिपेयर देने के पाबन्द नहीं होंगे। उनका अपना निजाम (व्यवस्था) है हाँ खुदाम और लज्जा के सदर के द्वारा आप लिस्टे तैयार कर सकते हैं ताकि आप के पास जो लिस्ट है वह update रहे। प्रत्येक माह के अन्त पर यह लिस्ट आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं।

## मीटिंग

### कमेटी रिश्ता-नाता यू.के

हुजूर अन्वर ने फ़रमाया - रिश्ता-नाता का शोबः (विभाग) देखे और निरीक्षण करे कि पिछले वर्षों में कितने रिश्ते हुए तथा उनमें कितने तलाक़ और कितने खुलअ पर समाप्त हुए। जो 270 रिश्ते यहाँ हुए हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जहाँ तलाक़ और खुलअ हुआ है -

फ़रमाया - यूरोप में शादियाँ टूटने का रोग बढ़ता जा रहा है। पृथक्ताएँ हो रही हैं। तर्बियत के शो'बः का बहुत बड़ा काम होने वाला है। तार्बियत का शोबः और सुधार करने वाली कमेटियाँ सब मिलकर काम करें। सब को बताएँ कि इस्लामी शिक्षा क्या है, मियाँ-बीवी के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। यह अहसास पैदा करना है कि रिश्ता क्यों करना है, शादी के उद्देश्य क्या हैं।

फ़रमाया - आपके रिश्ता-नाता शोबः और कमेटी की नियमित मीटिंग अमीर साहिब के साथ होनी चाहिए, जिसमें सारे मामलों पर बातचीत हो।

फ़रमाया - प्रत्येक दूसरे तीसरे महीने खुदाम, लज्ञा, अन्सार और जमाअती तौर पर मां-बाप तथा लड़के-लड़कियों के सेमीनार हों। लज्ञा अपने तौर पर सेमीनार आयोजित कर सकती है।

फ़रमाया - कुछ रिश्ते इस कारण टूटते हैं कि लड़कियाँ ग़लत उम्मीदें और ग़लत आदतें लेकर आती हैं। लड़के की आर्थिक परिस्थितियाँ धीरे-धीरे अच्छी होती हैं, job मिलती है फिर आहिस्ता-आहिस्ता वेतन बढ़ता है। इन बातों पर समय लगता है परन्तु लड़की पहले दिन से ही ग़लत उम्मीदें और आदतें लेकर आती है। यहाँ मां-बाप का भी कर्तव्य है कि वे तर्बियत करें।

फ़रमाया - लड़कियों की व्यस्तता तथा Activities इत्यादि का

पता चल जाता है, लड़कों की भी Activities का निरीक्षण करते रहना चाहिए कि उनकी व्यस्तताएँ क्या हैं? ये तर्बियत के विषय हैं जो फिर रिश्ते-नाते की समस्याओं का कारण बन रहे हैं।

**फ्रमाया** - वेबसाइट के सन्दर्भ से हुजूर अन्वर ने फ्रमाया कि तस्वीर न आए लेकिन सिक्योरिटी क्या होगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिसका रिश्ता हो रहा होता है उसके विरुद्ध दूसरों तक या जहाँ रिश्ता हो रहा होता है उस फैमिली तक ग़लत बातें पहुँचा देते हैं। जब इन लोगों के रिश्ते टूटते हैं तो फिर वह लड़की पर ग़लत इलज़ाम लगा देते हैं ताकि किसी दूसरी जगह उसका रिश्ता न हो सके। जब मुझे पता चलता है तो मैं उनको जमाअत से निकाल देता हूँ।

**फ्रमाया** - यदि किसी लड़के ने किसी पर ग़लत इलज़ाम लगाकर दूसरे पक्ष को बद़ज़न किया है तो उसकी रिपोर्ट मुझे आनी चाहिए। इस्लाही कमेटी निस्सन्देह अपना काम करे, किन्तु मुझे उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए।

**फ्रमाया** - आप को रिश्ते-नाते के सन्दर्भ से जो प्रस्ताव भी कहीं से आता है उस पर विचार किया करें। ईस्ट लन्दन से एक रिपोर्ट आई थी, जो आपको भिजवाई थी।

हुजूर अन्वर की सेवा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि सेमीनार होने चाहिएँ। इस पर हुजूर अन्वर ने फ्रमाया - अब "होने चाहिए" को छोड़कर "हो गए" पर आ जाएँ इस पर हुजूर अन्वर की सेवा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि आठ हो चुके हैं।

**हुजूर अन्वर** ने फ्रमाया - पूर्वी लन्दन की जमाअत में समस्याएँ अधिक हैं। इस ओर ध्यान दें। ब्रेडफोर्ड, हेडलज़फ़ील्ड में भी समस्याएँ पैदा हो रही हैं। पूर्वी लन्दन में तो फ़ायदा उठा कर निज़ामे जमाअत के खिलाफ बद़ज़न करने की कोशिश करते हैं।

**हुजूर अन्वर** ने फ्रमाया - आप के स्टाफ़ को अच्छी तरह नर्म जुबानी से पब्लिक डीलिंग करनी चाहिए। फ्रमाया - लोग जो चाहें समझते रहें। जब आप के दफ्तर रिश्ता-नाता / वसीयत इत्यादि का

जवाब सुनते हैं तो बदज्जन हो जाते हैं।

**फ्रमाया** - रिश्ता-नाता के जो निर्देश एकत्र किए हुए हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक वे रब्बाह से मंगवा लें। उस पर दोबारा निरीक्षण किया जा रहा है।

**फ्रमाया** - लिस्टें बननी चाहिएँ। पाकिस्तान में तो बिरादरी सिस्टम है। मुगल में, सच्चद में इत्यादि किन्तु यहाँ बाहर तो विभिन्न क्रौमें हैं। अफ्रीका, अमरीका और यूरोप में रिश्ते हैं, विभिन्न क्रौमों में रिश्ते हैं, यह सब देखना पड़ेगा।

हुजूर अन्वर ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के रिश्ते-नाते के संबंध में एक वक्तव्य की चर्चा की जो अलफ़ज़ल रब्बाह 24 दिसम्बर 2010 के अंक में प्रकाशित हुई है।

हुजूर अन्वर ने फ्रमाया - इसका महत्व आज भी उसी प्रकार है जिस प्रकार सौ वर्ष पहले था। आप एक रजिस्टर बना रहे हैं और रिकार्ड रख रहे हैं।

हुजूर ने गिलगिट पाकिस्तान का हवाला देते हुए फ्रमाया कि वहाँ आगाखानियों की जो लड़कियाँ पढ़ी-लिखी हैं उन्होंने आठवीं, नवीं पास लड़कों से शादियाँ कीं। केवल इस कारण कि भविष्य में नस्ल बच जाए और वह पढ़ जाए।

**फ्रमाया** - विभिन्न घटनाएँ सामने आती हैं उदाहरणतया लड़के ने कनाडा जाना है और वहाँ निवास करना है। अब लड़की कहती है कि उसने कनाडा नहीं जाना।

**फ्रमाया** - यह बात बताने वाली है कि लड़कियाँ रुखसत हुआ करती हैं, लड़के रुखसत नहीं होते।

**फ्रमाया** - दोनों पक्षों विशेषतः लड़की वालों को यह बताना चाहिए कि आप से जो जानकारी विस्तारपूर्वक ली जाती है वह इस कारण लेनी पड़ती है कि जब लड़के वालों ने रिश्ते के हवाले से लड़की के घर जाना है तो उनको पहले से सारे मामलों और परिस्थितियों का ज्ञान हो, यह न हो कि जानकारी प्राप्त किए बिना घर

आओ, लड़की देखो, खाओ पियो और वापस जाकर जवाब दे दो। जब समस्त जानकारियाँ पहले ही से प्राप्त होंगी तो फिर ऐसी बातें कम होंगी।

**फ्रमाया** - जिस सीमा तक लड़की की व्यक्तिगत (निजी) जानकारियाँ ले सकते हैं ले लें, परन्तु यह सब राज में रखना पड़ेगा।

अमीर साहिब यू.के. ने बताया कि फोटो देखकर 'न' कर देते हैं।

इस पर **फ्रमाया** - फोटो बाद में दिखाएँ। पहले Bio-data (कवायफ) दिखाएँ।

**फ्रमाया** - मां-बाप की तर्बियत की भी आवश्यकता है। घर का वातावरण (माहौल) अच्छा होगा, मां-बाप खुश होंगे तो बच्चों की भी अच्छी तर्बियत होगी। आने वाली दुल्हन के लिए भी घर में अच्छा माहौल मिलेगा।

**फ्रमाया** - आप के शोबों (विभागों) को केवल रिश्ते से पहले ही नहीं अपितु रिश्तों के बाद भी दृष्टि रखनी चाहिए।

**फ्रमाया** - खुदाम और लज्जा ने अपने-अपने काम जो रिश्ते-नाते के संबंध में करने हैं वे करें। आपने अपना काम करना है। भिन्न-भिन्न ढंग से चैकिंग हो रही होगी, विभिन्न स्थानों से जानकारियाँ आ रही होंगी तथा अधिक चैकिंग हो रही होगी। काम अच्छा होगा।

वेब साइट के बारे में **फ्रमाया** - ठीक है पूरी सावधानी आवश्यकताओं के साथ आरंभ कर दें।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वक्तव्य (इक्तिबास) के बारे में **फ्रमाया** - ठीक है उसका अनुवाद कर दें। अहमदिया अखबार में भी दें, वेब साइट पर भी दें।

**फ्रमाया** - जो लोग रिश्ता तलाश करने, रिश्ता तय करने के लिये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं वे करते रहें लेकिन जब उनकी कोशिश कामयाब हो जाए, रिश्ता तय हो जाए तो फिर आपको उसका इलम होना चाहिए ताकि वह आपकी लिस्ट से निकल जाएँ। **फ्रमाया** - तुरन्त साथ के साथ आप को जानकारी आनी चाहिए। मंगनी और फिर

निकाह के अर्से (अवधि) में चार-छः माह का अन्तर होता है। मंगनी हो चुकी है, कोई और रिश्ता लेकर चला गया, पसन्द आ गया तो पहला तय किया हुआ रिश्ता समाप्त कर दिया तो समस्या पैदा हो जाएगी।

फ्रमाया - जो लड़कियाँ कहती हैं कि यू.के. से बाहर रिश्ता नहीं करना। यह ग़लत बात है दूसरों को खराब करेंगी।

फ्रमाया - आप अपनी रिपोर्ट नियमित रूप से मुझे भेजा करें। आपकी बातों का मुझे पता नहीं लग रहा।

फ्रमाया - जमाअत के तर्बियती शोबे (विभाग) पूरी तरह काम नहीं कर रहे। कुछ घरों में लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं, उम्र (आयु) बढ़ जाती है, मां-बाप आँखें बन्द कर लेते हैं, लड़की खुद अपनी पसन्द का रिश्ता कर लेती है।

फ्रमाया - यह रिश्ता-नाता का शोबा बहुत महत्वपूर्ण शोबा है। इस पर आप की दृष्टि रहनी चाहिए। इसकी नियमित रूप से रिपोर्ट आनी चाहिए।

फ्रमाया - लड़कियों के अलग से सेमीनार होने चाहिए ताकि वे खुलकर बात कर सकें।

फ्रमाया - खुदाम अपनी सेमीनार अलग से करें ताकि लड़के खुलकर बात कर सकें।

फ्रमाया - यह बताना चाहिए कि अस्थायी फ़ायदे और इच्छाओं के लिए अपनी-अपनी नस्लों को जमाअत से दूर नहीं हटाना। अपने रिश्ते भी क़ायम रखें और अपनी भावी नस्लों की हिफ़ाज़त (रक्षा) भी करें। अपनी औलाद की हिफ़ाज़त के लिए कुर्बानी दें तथा अपने हौसले और बर्दाशत को बढ़ाएँ।

फ्रमाया - यह अहसास पैदा करना है कि हम अहमदी क्यों हैं। इसका महत्व क्या है, हमने किस प्रकार अपनी पहचान कायम रखनी है। फ्रमाया - छोटी-छोटी बातें हैं सबको मालूम होनी चाहिए कि हम अहमदी क्यों हैं, मसीह मौऊद को क्यों माना है।